



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-33

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 262144 दिनांक 15/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Gulab Chand Pareek S/o Radhey Shyam Pareek	श्री राधेश्याम पुत्र स्व. श्री गणेश नारायण	4	13.50 SQ. METER	JDA	MOJI COLONY Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना मौजी कॉलोनी के दुकान संख्या 4 क्षेत्रफल 13.50 वर्ग मीटर की लीजडीड श्री राधेश्याम पुत्र स्व. श्री गणेश नारायण के नाम से दिनांक 26.09.07 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री राधेश्याम की दिनांक 17.06.2012 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त श्रीमती रतन देवी पारीक पत्नी स्व. श्री राधेश्याम पारीक एवं रेखा पारीक पुत्र स्व. श्री राधेश्याम पारीक द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 07.10.20205 के द्वारा गुलाब चन्द पारीक पुत्र स्व. श्री राधेश्याम पारीक के पक्ष में कर दिया गया। आवेदक श्री गुलाब चन्द पारीक द्वारा खोया-पाया, एफ.आई.आर एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।
---	--	--	---	-----------------	-----	---------------------------	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Gulab Chand Pareek S/o Radhey Shyam Pareek को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |